न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 50/2024

श्री कमलेश सैनी पुत्र नाथू लाल सैनी निवासी मिश्रा कॉलोनी चतुर्भुज तालाब के आगे टोंक --अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 26.11.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 436-37 दिनाक 30.07.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक व लोक सूचना अधिकारी एंव उप वन संरक्षक टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

(1) दिनांक 01.01.2013 से दिनांक 24.07.2024 तक उपवन संरक्षक टोंक एवं उसके अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की नाम एवं कार्यरत अवधि सहित प्रमाणित सूची उपलब्ध करावें।

(2) दिनांक 01.01.2013 से दिनांक 24.07.2024 तक उपवन संरक्षक टोंक एवं उसके अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नाम एवं अवधि सहित आवंटित कार्यों की प्रमाणित सूची उपलब्ध करावें।

(3) दिनांक 01.01.2019 से 24.07.2024 तक मिश्रा कॉलोनी टोंक (खसरा नम्बर 5698 गैर मुमकिन पाल) वन विभाग से सम्बन्धित आवंटित चार्ज की अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं अवधि सहित प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

(4) सम्पूर्ण खसरा नम्बर 5700 गंगा जमना गार्डन के पास टोंक में करवाये गये बाउण्ड्रीवाल का सर्वे करने वाले, मेजरमेन्ट लेने वाले, माप पुस्तिका में इन्द्राज करने वाले एवं भुगतान करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा कार्य करने वाले संवेदक के नाम सहित प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

(5) माह जनवरी 2023 से जुलाई 2024 तक जिला कलेक्टर टोंक की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में मिश्रा कॉलोनीवासियों द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों, आपके कार्यालय द्वारा सम्बन्धित विभाग को भेजे गये पत्रों एवं सम्बन्धित विभाग द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर की प्रमाणित प्रति उपलबध करावें।

(6) खसरा नम्बर 5698 गैर मुमकिन पाल टोंक का दिनांक 18.07.2022 को वन विभाग एवं तहसीलदार टोंक द्वारा किये गये संयुक्त मौका रिपोर्ट एवं सीमाज्ञान की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

जिला कलक्टर
टोंक

(7) खसरा नम्बर 5698 गैर मुमकिन पाल पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में दिनांक 01.01.2019 से 24.07.2024 तक तैयार की गई मौका रिपोर्ट एवं सीमाज्ञान की प्रमाणित प्रतियों उपलब्ध करावें तथा सीमाज्ञान करने वाले एवं मौका रिपोर्ट तैयार करने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नाम सहित सूची उपलब्ध करावें ।

(8) क्षेत्रीय वन अधिकारी टोंक के पत्रांक 1035 दिनांक 01.12.2021 द्वारा खसरा नम्बर 5698 गैर मुमकिन पाल (पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में किस मौका रिपोर्ट एवं सीमाज्ञान के आधार पर नोटिस दिया गया। मौका रिपोर्ट एवं सीमाज्ञान की प्रति उपलब्ध करावें तथा सीमाज्ञान करने वाले एवं मौका रिपोर्ट तैयार करने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नाम सहित सूची उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 1319 दिनांक 09.9.2024, 1412 दिनांक 26.09.2024 व 1502 दिनांक 10.10.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने पत्र कमांक 11343 दिनांक 14.10.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 10267 दिनांक 03.09.2024 से सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी एवं उप वन संरक्षक, टोंक से संबंधित बिन्दुओं के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एवं उप वन संरक्षक, टोंक से संबंधित बिन्दुओं के संबंध में उनके प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)